फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

ईश्वर चौधरी वगैरा बनाम गोरधनराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न 60/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज
23/02/2021	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सुनील के मेराजा द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 9 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा धारणा धोरा, बनिया धोरा व बायतु भीमजी पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि का बैचान विप्रार्थीगण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 26/03/2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा धारणा धोरा पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 105, 110, 678/615, 652, 652/111, 656/111, 660, 94 रकबा क्रमशः 0.9789, 0.0971, 8.1385, 1.9092, 7.1192, 5.7196, 2.9124, 3.9074, मौजा बायतु भीमजी पटवार मण्डल बायतु भीमजी के खेत खसरा नम्बर 113 662/135 रकबा क्रमशः 1.0436, 2.0144 हैक्टेयर व मौजा बनिया धोरा पटवार मण्डल बायतु भीमजी के खेत खसरा नम्बर 189/38, 193/39, 199/64 रकबा क्रमशः 2.4189, 1.6504, 3.1956 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थी किसी प्रकार की दखल-अदाजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का बैचान करें। वर्तमान रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इसी माफिक उभयपक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 26/03/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 23/2 उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु

26/03/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-2 की ओर से मूल वाद में वकील श्री शिवप्रसाद सिंह द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई। शेष विपक्षीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। प्रार्थी संख्या-1 की ओर से श्री भवानी सिंह (चौधरी) द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 27/04/2021 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

27/04/2021

पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 29/06/2021 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

29/06/2021

प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 के वकील उपस्थित। शेष विपक्षीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक-08/10/2021 को पेश हो।

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/10/2021	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील किस्म तामील विप्राप्त। लिमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन कार्यों के संग अभियान-2021 कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-23/03/2022 को पेश हो।	
23/03/2022	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 के वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई प्रार्थीगण स्वयं व प्रार्थी के अधिवक्ता तथा विप्रार्थी संख्या-1 स्वयं या उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा प्रार्थी अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रार्थी का आवेदन अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	

(SDO) बायतु